(12)

न्यायालय, अपर समाहर्ता, मधुबनी।

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख...तक

जिला.............मधुबनी ..संख्या.– 136/13–14, 233/18–19, 75/18–19 का प्रकार :

बिहार भूमि सुधार एवं अधिकतम सीमा निर्धारण अधिनियम की धारा– 16(3) अरिया सिलिंग अपील वाद

अर्जीकार:– लक्ष्मण मुखिया

प्रतिपक्षी:– बीबी सिको खातून एवं अन्य।

आदेश का कम संख्या और तारीख	अपीलकर्ता:– 1– लक्ष्मण मुखिया पिता–पोलाई मुखिया, ग्राम–बकुआ टोले जोगिया,, थाना–भेजा, अंचल–मधेपुर। प्रतिपक्षीगण:–1– बीबी सिको खातून पति–शकूर खान ग्राम–बकुआ, टोले–जोगिया, डाकघर–भरगामा ....**प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष।** 2– पोलाई मुखिया, पिता स्व0बौधू मुखिया ग्राम–बकुआ, टोले–जोगिया, डाकघर–भरगामा ....**प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष।** **विवादित भूखण्ड:– मौजा–बकुआ, खाता संख्या–283 खेसरा संख्या–464, 465 पुराना खाता संख्या–277 खेसरा संख्या–3632, 3633, 347 नया रकवा– 2 कट्ठा**	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
	आदेश	
5/2/19	प्रस्तुत अपील वाद समाहर्ता महोदय के माननीय न्यायालय में वाद संख्या–136/13–14, 233/18–19 के रूप चला। पत्रांक–3053/जि0विधि दिनांक–06.09.2018 द्वारा उक्त वाद अभिलेख सुनवाई कर निष्पादन हेतु इस न्यायालय में हस्तान्तरित हुआ। इस न्यायालय में अपील वाद संख्या–75/18–19 के रूप में चला। निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख संख्या–2/11–12 प्राप्त। प्रतिपक्षी की ओर से मात्र वकालतनामा के साथ वकालतन समयावेदन समाहर्ता के माननीय न्यायालय में दिया गया तथा कोई भी पक्ष/प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया। वाद हस्तान्तरण के बाद इस न्यायालय में प्रतिपक्षी कभी भी वकालतन/सहालतन उपस्थित नहीं हुये और न ही लिखित/मौखिक पक्ष रखा। वाद में एक पक्षीय सुनवाई की गई तथा वाद आदेशार्थ रखा गया। **अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत पक्ष का मुख्य अंश:–** 1– अपीलकर्ता प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष के पुत्र हैं विवादित भूमि अपीलकर्ता एवं प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष के इजमाल है। अपीलकर्ता प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष का एक मात्र पुत्र है इसलिए अपीलकर्ता प्रश्नगत भूमि के सह अंशधारी होने के नाते अग्रक्रय के अधिकारी हैं। 2– अपीलकर्ता जमीन खरीदने हेतु तत्पर थे किन्तु प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष ने प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष को भूमि बिक्री कर दिया जबकि प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष न तो अरिया रैयत और न ही सह अंशधारी हैं। 3– विपक्षी प्रथम पक्ष के पति एवं ससुर काफी धनी व्यक्ति हैं तथा	

(13)

उनका बहुत बड़ा आवासीय मकान है। विपक्षी प्रथम पक्ष को मकान बनाने के लिए जमीन खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही प्रश्नगत जमीन आवासीय किस्म की भूमि है।

4– विपक्षी प्रथम पक्ष ने निम्न न्यायालय में कथन दिया कि प्रश्नगत जमीन विपक्षी द्वितीय पक्ष का स्व–अर्जित जमीन है जिससे अपीलकर्ता को कोई सरोकार नहीं है। हिन्दू कानून के अनुसार हिन्दु परिवार को सामिलात माना गया है। कानूनन जिस किसी के नाम से भी जमीन खरीद हो उसपर विपक्षी द्वितीय पक्ष तथा आवेदक का इजमाल दखल माना जायेगा।

5– निम्न न्यायालय द्वारा वर्णित आवेदक के कथन पर कोई विचार नहीं किया गया तथा तर्कहीन आदेश पारित कर दिया गया। निम्न न्यायालय ने हिन्दू कानून तथा सक्सेसन 16(3) लैण्ड सिलिंग एक्ट के प्रावधानों पर विचार नहीं किया। इसलिए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक–18.12.2012 को निरस्त करते हुये अपील आवेदन को स्वीकार किया जाय।

<u>प्रतिपक्षी की ओर से प्रस्तुत पक्ष :–</u>

प्रतिपक्षी की ओर से मात्र वकालतनामा के साथ वकालतन समयावेदन समाहर्ता के माननीय न्यायालय में दिया गया तथा कोई भी पक्ष/प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया। वाद हस्तान्तरण के बाद इस न्यायालय में प्रतिपक्षी कभी भी वकालतन/सहालतन उपस्थित नहीं हुये और न ही लिखित/मौखिक पक्ष रखा।

<u>निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश का मुख्य अंशः–</u>

हिन्दू विधि के अनुसार स्वयं अर्जित सम्पत्ति में पुत्र का अधिकार उसके जीवित रहते नहीं होने के आधार पर आवेदक को प्रश्नगत भूमि के सह अंशधारी नहीं पाते हुये उनके अग्रक्रय आवेदन को खारिज किया गया।

<u>निष्कर्षः–</u>

अपील आवेदन, निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अवलोकन एवं परिसिलन किया। प्रतिपक्षीगणों द्वारा वकालतन/सहालतन पक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने से स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत पक्ष से प्रतीत होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है। दोनों पक्षों की सुनवाई आवश्यक है। पुनः इसकी सुनवाई कर न्याय निर्णय हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, झंझारपुर के न्यायालय में रिमाण्ड किया जाता है। दोनों पक्ष अपना–अपना पक्ष, साक्ष्य निम्न न्यायालय में प्रस्तुत करें।

आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख वापस लौटावें।

आदेश से विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते हैं।

लेखापित

5/2/19

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।

5/2/19